न्यायालय–अवर न्यायाधीश द्वितीय, डुमरॉव

फाइनल डिकी वाद सं0 03/2019
सी0 आई0 एस0 नं0103/2019

मुस्मात यशोदा देवी .वगै0.....वादीगण ।

बनाम्
शिवकेशरी देवी वगै0 ..... प्रतिवादीगण।

आदेश

16.09.2023

उभय पक्ष की हाजिरी है। आज यह अभिलेख जजमेन्टडेटर (प्रत्यावेदक) जितेन्द्र सिंह वगै0 के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक– 27.02.2023 पर आदेश हेतु नियत है। इन्टरभेनर आवेदक जितेन्द्र सिंह वगै0 द्वारा आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि अपील वाद सं0 36/201 में पारित जजमेंट वो डिकी के खिलाफ प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय वाद अपील सं0 268/2019 में सुनवाई के बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय में कार्रवाई स्थगित करने हेतु दाखिल है, लेकिन उक्त आवेदन पर अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी है, क्योंकि उस अपील की विपक्षीगण सुनवाई में विलम्ब करने के नियत से उस अपील में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जजमेन्टडेटर के विद्वान अधिवक्ता का ये भी कथन है कि विपक्षीगण को भली–भांति जानकारी है कि उक्त अपील में विपक्षीगण को सफलता नहीं मिलेगी तथा विपक्षीगण को बखूबी यह भी पता है कि वे तकरारी जमीन धुंधली सिंह के खानदान के बिल्कुल बाहरी है तथा उनके पक्ष में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए विपक्षीगण गलत पैरवी के आधार पर हासिल जजमेंट वो डिकी के बुनियाद पर दाखिल फाईनल डिकी डिस्पोजल शीघ्र कराना चाहते हैं। जब कि फाईनल डिकी के पोसीडिंग से सम्बंधित इभेन्ट्स पर विचार करना वो आदेश पारित करना न्यायहित में जरूरी होगा। इनका यह भी कथन है कि मूल अभिलेख का अवलोकन करने से विदित होगा कि जजमेंटडेटर के श्रेणी में कुल 37 पक्षकारों का नाम उल्लेखित है, जिसमें बहुत से जजमेंटडेटर का नाम गलत दर्ज हो

लगातार
16.09.2023

गया है तथा बहुतों की मृत्यु हो गई है तथा बहुत सारे जजमेंट डेटर अभी तक हाजिर नहीं हुये हैं जिसके लिए डिक्री होल्डर को उचित पैरवी करना तथा न्यायालय के आदेश का पालन करना, मृत व्यक्तियों के वारिसानों को प्रतिस्थापित कराने के लिए समय सीमा के अन्दर आवेदन देना तथा गलत खाता, प्लाट, रकबा का सुधार करना न्यायहित में जरूरी होगा, क्योंकि कानून की मनसा यह है कि प्रीलीमीनियरी डिक्री के बाद फाइनल डिकी पारित करना मोकदमें का अंतिम निष्पादन होता है। फाइनल डिक्री पारित करने के पहले सब्सकियुनेट इभेन्ट पर भी विचार करने के पश्चात ही फाईनल डिकी पारित किया जा सकता है। प्रत्यावेदक के विद्वान अधिवक्ता का ये भी कथन है कि फाइनल डिकी पारित करने के पहले तकरारी जमीन अथवा बंटवारा सम्बंधित सभी झगड़ों का निपटारा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए ताकि तकरारी जमीन को लेकर पक्षकारों को दुबारा मोकदमा नम्बरी अथवा बंटवारा पुनः नहीं करना पड़े। इस अमल का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय वो अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अपने निर्णय के माध्यम से पारित किया जा चुका है। अतः जजमेंटडेटर के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि मोकदमा हाजा में सबसिकवेंट इभेन्ट के अलावे सभी कार्यवाइयों एवं आदेशो का पालन होने के बाद ही वर्तमान फाईनल डिकी का निष्पादन सम्बंधी आदेश पारित करने की कृपा करें।

डिकीदार की तरफ से प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 27.02.2023 प्रतिउत्तर दाखिल कर कहते हैं कि जजमेंटडेटर द्वारा दाखिल आवेदन कानूनतः मेन्टेनेबुल नहीं है तथा सही तथ्य को छुपाकर गलत तथ्य के आधार पर दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि नम्बरी वाद 89 सन् 1989 बंटवारा का था जिसके अन्तर्गत नम्बरी अपील 36/2011 के माध्यम से माननीय एफ0 टी0 सी0 प्रथम बक्सर द्वारा दिनांक– 25.03.2019 को प्राथमिकी निर्णय वो दिनांक– 04.04.2019 को प्राथमिकी डिकी पारित हुआ जिसके आलोक में वादीगण ने अपना

लगातार
16.09.2023

हिस्सा अलग करने के लिए दाखिल किया है। नम्बरी अपील 36/2011 में पारित निर्णय दिनांक– 25.03.2019 के विरूद्ध प्रतिवादी ने नम्बरी द्वितीय अपील 268/2019 माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया है तथा फाइनल डिकी प्रोसिंडिंग को स्थगित करने का कोई प्रावधान कानूनतः नहीं है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि जब प्रतिवादी द्वितीय अपील दाखिल कर चुके हैं तो कानूनतः अपीलीय न्यायालय से ही प्रतिवादी को स्थगन आदेश लाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांत 2003 (3) पी0 एल0 जे0 आर0 पेज 408 के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि कानूनत : फाइनल डिकी स्टे नहीं होगा। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रतिवादी माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील लम्बित रहने के दौरान तथा वर्तमान फाइनल डिकी लम्बित रहने के दौरान दिनांक– 22.12.2021 को एक किता विक्रय पत्र निष्पादित किया है, जिसके लिए वादी ने इम्तनाई आवेदन भी दिनांक– 20.08.2022 को दाखिल किया है जिसका जवाब प्रतिवादी के तरफ से दिनांक– 03.09.2022 को दाखिल हुआ है। प्रतिवादी इम्तनाई आवेदन पर बहस नहीं करके गलत आवेदन फाइनल डिकी को स्थगित करने के लिए दिया है जो बिल्कुल कानून के विरूद्ध है तथा प्रतिवादी द्वारा अपने आवेदन में जो भी कारण दर्शाया गया है वह बिल्कुल गलत वो वादी द्वारा प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु गजट प्रकाशन कराकर न्यायालय में दाखिल किया है तथा प्रतिवादी बिना वजह गलत गलत आवेदन देते रहते हैं तथा प्रतिवादी इसके पूर्व भी एक आवेदन दिनांक– 13.10.2022 को आदेश 41 नियम 5 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दाखिल किये थे जो दिनांक– 04.01.2023 को खारिज हो चुका है। वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि प्रतिवादी का आवेदन दिनांक– 27.02.2023 को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह विदित होता है कि यह फाइनल डिकी वाद इस न्यायालय द्वारा नम्बरी बंटवारा वाद सं0 89/1989 में पारित

लगातार
16.09.2023

प्रारम्भिक डिक्री जिसमें वादी का विवादित जमीन में 1/3 हिस्से का तख्ता अलग करने हेतु लाया गया है। जजमेंटडेटर का कहना है कि उनके द्वारा द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय में अपील सं0 268/2019 दाखिल किया जा चुका है, परन्तु इस वाद के डिक्रीदार उक्त अपील में माानीय उच्च न्यायालय पटना में उपस्थित नहीं हो रहे हैं जिससे स्थगन आवेदन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। साथ में जजमेंटडेटर का यह भी कहना है कि इस वाद के कई पक्षकार की मृत्यु हो चुकी है, परन्तु उनके वारीसानों को प्रतिस्थापित कराने हेतु डिक्रीदार के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, परन्तु जजमेंटडेटर द्वारा किसी मृत पक्षकार का कोई विवरण नहीं दिया गया है। पूर्व में भी इस आवेदन के आवेदक द्वारा इस फाइनल डिक्री की कार्रवाई स्थगित करने हेतु आदेश 41 नियम 5 सी0 पी0 सी0 के तहत एक आवेदन दिया गया था जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक– 04.01.2023 के आदेश द्वारा खारिज किया गया था। पुनः आवेदक द्वारा यह आवेदन इस फाइनल डिक्री की अग्रिम कार्रवाई स्थगित करने हेतु आवेदन लाया गया है। इय विधि का प्रतिपादित सिद्धांत है कि फाइनल डिक्री की कार्रवाई स्थगित नहीं की जा सकती। अतः जजमेंटडेटर द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 27.02.2023 को मो0 पांच सौ रूपये के खर्चे के साथ खारिज किया जाता है।

दिनांक– 7.10.23 वास्ते डिक्रीदार के आवेदन दिनांक– 31.07.2023 पर प्रतिउत्तर दाखिल करने हेतु।

लेखापित

सब जज द्वितीय, डुमरॉव ।